न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 157 / 2007

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 हरलाल पुत्र ईशरराम।
2 शिवलाल पुत्र ईशरराम।
3 विधाधर पुत्र ईशरराम।
4 देवकरण पुत्र ईशरराम।
5 श्रीमती सिनगारी देवी बेवा ईशरराम समस्त जाति जाट निवासीगण डाबड़ी तहसील नवलगढ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 बलाराम पुत्र नौरंग।
2 लालचन्द पुत्र नौरंग।
3 दयाचन्द पुत्र नौरंग।
4 सुभाष पुत्र रामवतार पौत्र तारू।
5 रोहिताश पुत्र रामकुमार पौत्र तारू।
6 मनभरी बेवा रामकुमार पुत्रवधू तारू।
7 भींवाराम पुत्र तारू।
8 महादेवा पुत्र तारू।
9 सहीराम पुत्र ईशरराम समस्त जाति जाट निवासीगण डाबड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
10 तहसीलदार लैण्ड होल्डर नवलगढ़।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.09.07
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ बउनवानी
मुकदमा बलाराम आदि बनाम हरलाल वगैरह
मुकदमा नम्बर 72/2001

उपस्थित

1. श्री सुभाषचन्द आर्य अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विधाधर जाखड़ अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 72/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.09.2007 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 ने विचारण न्यायालय में दावा घोषणा, दुरूस्त करवाने रिकार्ड बाबत भूमि खसरा नम्बर 225,226 हाल खसरा नम्बर 106, 226/300 हाल खसरा नम्बर 107 प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद आंशिक रूप से डिक्री किया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट का कब्जा माना गया है सींव पचास बर्ष से बनी हुई है। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 3 के विवेचन में इसे स्वीकार भी किया है इसके उपरान्त भी तनकी संख्या 1 का निर्णय वादीगण के पक्ष में करने में भी त्रुटि की है विचारण न्यायालय द्वारा रकबे की कमी बेसी को दुरूस्त करने का आदेश दिया गया है। जबकि कब्जा अपीलांट का मानते हुये तनकी संख्या 2 व 3 वादीगण के विरूद्व निर्णित की है। विचारण न्यायालय का निर्णय परस्पर विरोधाभाषी है अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त की जायें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत पारित किया है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय के विचाराधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचाराधीन निर्णय में विचारण न्यायालय ने परस्पर विरोधाभाषी निष्कर्ष अंकित किया है विचारण न्यायालय में वाद घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में विवादित भूमि में सींव डोल गत पचास वर्षो से बनी होना एवं अपीलांट का कब्जा होना स्वीकार किया है। इसके विपरित वादी का राजस्व रिकार्ड में रकबा कम मानते हुये अधिक दर्ज कर दिया है। इसी प्रकार 0.33 हैक्टेयर भूमि पर कब्जे के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा बाबत चाही गई रिलिफ प्रदान नही कर वाद वादी आंशिक डिक्री किया है। यह विवेचन परस्पर विरोधाभाषी है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नही माना जा सकता है। कब्जे के अभाव में घोषणा की डिक्री विधि सम्मत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नही मानी जा सकती है। यहां यह भी विचारणीय है कि वादीगण का रकबा कम पाया गया है ऐसी स्थिति में प्रकरण में पुन सुनवाई कर निर्णय करने हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित करना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में गुणावगुण पर विधिक प्रावधान अनुसार पुन निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 11.01.19 को सरे इजलास सुनाया गया।

11.1.19
(क[illegible] सिंह पूनियाँ)
भूमि प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर